

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

इजलास - त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 63/2014  
तारीख दायर 23.04.2014

## उनवान

1. भीमा पिता भेरू जाति भाट निवासी सारण का खेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—वादी

## बनाम

- 1 प्रहलाद पिता रामदयाल जाति महाजन (लढ़ा) निवासी पुरानी आबादी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 2 राजू पिता जोगा जाति मारू भाट निवासी सारण का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 3 हजारी पिता जोरावर सिंह जाति मारू भाट नि० सारण का खेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 4 सरदारलाल पिता भेरू जाति मारू भाट नि० सारण का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 5 ईश्वरलाल पिता जोरावरसिंह जाति मारू भाट नि० सारण का खेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 6 तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

## उपस्थित :-

1. श्री सांवरमल रेबारी, अधिवक्ता (वादी)
2. प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 एवं 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 25.10.2019

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम सारण का खेडा पटवार हलका महुआ तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आ०सं० 1/2, 358/1 कुल कित्ता 2 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार माण्डलगढ़ को विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़ जे-भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डलगढ़ ने आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 20.06.2019 को तैयार कर दिनांक 25.06.2018 को विभाजन प्रस्ताव मय ट्रेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई। वादी/प्रतिवादी तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 53-88 राजस्थान कारतकारी अधिनियम-1955 के अंतर्गत सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी नं	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रहलाद पिता रामदयाल महाजन निवासी माण्डलगढ़ खातेदार रहन एक्सिस बैंक भीलवाड़ा	387/1	7.05	नहरी 7.05	10.58
	योग	किता 1	7.05		10.58
2	भीमा पिता भैरू जाति मारू भाट सा.देह खातेदार	382/1	3.12	नहरी 3.12	5.25
	योग	किता 1	3.12		5.25
3	राजू पिता जोगा जाति मारू भाट सा.देह खातेदार	383/1	3.13	नहरी 3.13	5.32
	योग	किता 1	3.13		5.32
4	हजारी पिता जोरावर सिंह जाति मारू भाट सा.देह खातेदार रहन आई.सी.आई. सी.आई बैंक शाखा काछोला	384/1	2.08	नहरी 2.08	3.50
	योग	किता 1	2.08		3.50
5	ईश्वर पिता जोरावर सिंह जाति मारू भाट सा.देह खातेदार रहन आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा काछोला	385/1	2.08	नहरी 2.08	3.50
	योग	किता 1	2.08		3.50
6	सरदार पिता भैरू जाति मारू भाट सा.देह खातेदार	386/1	2.09	नहरी 2.09	3.57
	योग	किता 1	2.09		3.57
	राजू पिता जोगा 1/6, भीमा पिता भैरू 1/6, हजारी पिता जोरावर सिंह 1/9, सरदार पिता भैरू 1/9 ईश्वर लाल पिता जोरावर सिंह 1/9, सा.देह प्रहलाद पिता रामदयाल 1/3 महाजन सा. मूणपुरा खातेदार रहन बदस्तूर	358/1	0.05	गै.मू.आ. चाह	गै.मू.आ.चाह
	योग	किता 1	0.05		-

उक्तानुसार खातेदारों के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखताया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)  
उपखण्ड अधिकारी